राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –1207/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान– मैसर्स एच.टी.सी. पाईप्स एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि.,जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन संभाग प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2017	**खण्डपीठ** **श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के. बैद उपस्थित। उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के अधीन पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति की राशि कायम की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें धारा 38(4) के अधीन उक्त मांग राशियों के स्थगन बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 38(4) के अधीन प्रस्तुत उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 10.07.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार कर केवल शास्ति की राशि को स्थगित किया निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह दोनों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र–सी के समर्थन पर माल का क्रय राज्य के बाहर से किया गया और इसी दौरान माल का विक्रय कर दिये जाने के कारण, उक्त माल की आपूर्ति सीधे ही क्रेता को करने के निर्देश अपीलार्थी द्वारा विक्रेता को दिये गये। जिसके तहत विक्रेता द्वारा माल की आपूर्ति सीधे ही क्रेता को कर दी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मात्र विक्रय बिल में क्रेता का नाम अंकित होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त संव्यहारों को राज्य के भीतर विक्रय संव्यवहार निर्धारित किया गया जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज पर लगातार.....2.	

अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि
1	2	3	4	5
1207/17	11–12	12,42,053	6,93,286	5,48,767

प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाने के संबंध में कोई आधार नहीं उल्लेखित किया बल्कि एक Non Speaking आदेश पारित किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टाया मामला एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1 M/s Parle Products Pvt. Ltd Vs. State of Rajasthan (2013) 35 Tax Update 196 (RHC)

2. BSL Wulfing Limited Vs. state of Rajasthan & Ords (2008) 12 VST 300(RHC)

3. Choudhary Construction Company Vs. The Deputy Commr RLW 2003 (1) Raj. 409 Dated 04-10-2001

4. BGR Energy Systems Limited Vs. AC, A/E, Kota (2013) 37 Tax Update 238(RTB)DB

राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा माल के अन्तरराज्य बिक्री को परिवहन के दौरान (Transit Sale) बिक्री किया जाना दर्शित किया है एवं CST अधिनियम की धारा 6(2) का लाभ लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि उक्त माल पर प्रथम बिक्री पर भी द्वितीय विक्रयता का नाम उल्लेखित है। इसलिये व्यवहारी द्वारा CST अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन की गयी बिक्री अविधिक है। व्यवहारी को धारा 6(2) लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Written Submissions पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के Non Speaking आदेश पारित किये जाने का आधार लेकर स्थगन के संबंध में प्रथम दृष्टाया मामला उसके पक्ष में होने का कथन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। Non Speaking आदेश ही स्थगन का एक मात्र और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब वर्तमान प्रकरण में इस पीठ के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं तथ्यों का स्थगन के संदर्भ में विवेचन किया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर माल के अन्तर्राज्य खरीद को परिवाहन के दौरान (Transit Sale) बिक्री किया जाना दर्शित किया है एवं उक्त माल की प्रथम बिक्री पर ही द्वितीय क्रेता का नाम अंकित कर दिया है। अपीलार्थी एवं द्वितीय केता दोनों स्थानीय है तथा Transit के दौरान माल का विक्रय द्वितीय केता को हुआ हो ऐसा प्रमाण

14/04/17

लगातार.....3.

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है इसलिये प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.07.2017 के आदेश द्वारा शास्ति की राशि को स्थगित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों मे अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

14/09/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर